	Date 20-9 201
Sank of India	N A III
(Depositing Branch)	
Please S C Credit B D	O C R L D M S
	TO CR
Name 701 9	निकारी प्रावित मार्थ
A/c. No. 14 8 t	1011 011 000 111 212
Details of Cheques	For Cash deposit please enter fotal only)
Bank	Cheque No. Amour
	1000 X 6 11 6000
	500 x 28 14000
	O II SEP THE
	1000
Rupees Off	TOTAL 2000

٠.

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

	<i>अन्य अधीश</i> का कार्याल	य समस्ति पुर
ज्ञाप शंख्या.	4	दिनांक 23.08.16
रोगः में,	श राजेरद नीवरी निला . मिन	1-Had
	नियोजक के॰थेकरी॰ मिस्हान कलोन्न रोउ- इसन्युर् - पेकिन्धा रणमे-पना- वीर्यु पो०न-नानाः हस	ना ह्यानपुर जिला समातीपुर नपुर जिला समानीप्र
Mara :-	बात श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,	
		एम. सी. मेहता बनाम तामिलनाडु सरकार में
	दिनांक 10.12.1996 में दिये निर्णयानुसार !	प्रतिबंधित नियोजनों में बाल श्रमिक पाये जाने के
	फलस्वरूप रू० २०,०००/- (रूपये बीस हजार)	
	पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करने के संव	चेंध में ।
महोदय,		The second secon
	हस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.08.2016	
	हिन में आपके प्रतिष्ठान/आवास का निरीक्षण बाल १	
मक्यागया । १ १७५७	निरीक्षण के समय आपके प्रतिष्ठान/आवास में बाल	श्रमिक श्री . <i>श्र.१टेभी</i>
UI /0	य राम् नियोजित पासा समा १४ वर्ष है — À	र अस्पना- इस्पन्न । जना-सनस
र्यावचात के	अनुस्केद- २४ एवं ताल शम् (प्रकृत स्टे	उस के बच्चे को नियोजित किया जाना भारतीय
जनगावत है।		
रिट य	याचिका संख्या-465/1986 एम. सी. मेहता बनाम	। तामिलनाड सरकार मे दिनांक- १०१२ १००६
to wholet 4	सवाच्य न्यायालय के निर्णय के अनुसार दोषी निर	योजक को प्रति बाल श्रमिक रूपरो २०,०००
नगर गुआवजा	।। जिला बाल श्रीमक पुनवीस-सह-कल्याण कोष में	जमा करना है।
अतः	आपको निदेश दिया जाता है कि माननीय	सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश के अनुपालन
200	१००० = १ रुपये जिला पदाधिकारी-सह स्टर्लीपूर के पदनाम से देय बैंक ड्र	7 OTOTTOT C
त्योहरताबारी व	के कार्यालय में जमा करें।	भव । तक तक तिवाकचित्राची स्वाप्तवि
निर्धारित	रेत समय-सीमा के अन्तर्गत निदेशित मुआवजा राशि	ा जमा नहीं किरो जाते गर उस्त चिन्न
	3-11411 (116	नेल विश्व जान पर उक्त सांश का वसूली

ा भितार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकभरी ऐक्ट के अन्तर्गत सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जायेगी ।

इसे ताकीद जाने ।

उप अमायुक्त/सहायक अमायुक्त/ अम अधीक्षक/श्रम प्रवर्तन् पदाधिकारी एवं